

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :— 1/पी०एम०सी०/विविध/562/2012— 123]

/राँची, दिनांक 04.09.2013

कार्यालय आदेश

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीन विभिन्न कार्यों के डी०पी०आर० तैयार करने, सर्वे करने एवं मोनिटरिंग इत्यादि कार्यों के लिए कन्सलटेन्ट पैनेल को सूचीबद्ध करते हुए निम्न रूप से निर्धारित की जाती है।

- 1) यह पैनेल निर्गत तिथि से पाँच वर्षों तक के लिए प्रभावी होगा।
- 2) डी०पी०आर० तैयार करने संबंधी सभी कार्य सूचीबद्ध कन्सलटेन्ट के द्वारा कराये जाने हेतु राज्य सरकार की बाध्यता नहीं रहेगी। विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा पैनेल में सूचीबद्ध कन्सलटेन्ट से विभिन्न अन्य ख्याति प्राप्त कन्सलटेन्ट या विभागीय अभियंताओं के माध्यम से भी यह कार्य कराया जा सकेगा।
- 3) सामान्य तौर पर जल संसाधन विभाग के विभिन्न कार्यों हेतु डी०पी०आर० तैयार करने का कार्य सूचीबद्ध कन्सलटेन्टों में से किसी कन्सलटेन्ट को देने से पहले सूचीबद्ध कन्सलटेन्टों से Preliminary Feasibility Report (PFR) एवं वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु सूचना दी जाएगी। निर्धारित अवधि के अंदर समर्पित Preliminary Feasibility Report (PFR) एवं वित्तीय प्रस्ताव को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। चयन समिति का गठन यथावश्यकता विभाग द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।
- 4) प्राप्त Preliminary Feasibility Report (PFR) एवं वित्तीय प्रस्तावों से न्यूनतम दरदाता को कार्य आवंटित किया जाएगा।
- 5) कन्सलटेन्ट द्वारा कार्य का डी०पी०आर० केन्द्रीय जल आयोग के मानकों पर झारखण्ड राज्य में प्रचलित अनुसूचित दर पर समर्पित किया जाएगा।
- 6) चयनित कन्सलटेन्ट द्वारा कराये जाने वाले कार्य का Scope of work निम्नवत होगा।
 - a) To prepare Detail Project Reports in prescribed format including requisite survey that are in conformity with the Water Resources Department, Government of Jharkhand, MoWR, Government of India, Central Water Commission's latest guidelines.
 - b) To get clearance on DPR from Central Water Commission and all other statutory clearance from different Ministries of GoI as required for getting the financial assistance under State or Central Schemes.
 - c) To conduct Monitoring & Evaluation works of projects (Ongoing / Completed), Quality Control, Studies and other Similar Works as per requirement of the department.
- 7) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के कन्सलटेन्ट पैनेल में निम्नलिखित कन्सलटेन्टों को सूचीबद्ध किया जाता है :—

| Sl. No. | Name of Agency | Address |
|---------|---|--|
| 1 | Shambhu Azad – WAPCOS Limited | Registered & Corporate Office, 5 th Floor, "Kailash" 26 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi – 110001. Main Office – 76-C, Institutional Area, Sector-18, Gurgaon – 122015 (Haryana) |
| 2 | P. K. Chatterjee – Consulting Engineering Services (I) Pvt. Ltd | 57, Nehru Place, 5 th Floor, New Delhi – 110019. |
| 3 | Parminder Kaur – URS Scott. Wilson India Private Limited | 19 th Floor, Tower 'C', Building 5, Cyber Terraces, DLF Cyber City, Phase – III, Gurgaon – 122002, Haryana, India. |
| 4 | B. Raghvendra – Aarvee Associates | Ravula Residency, Srinagar Colony, Main Road, Hyderabad – 500082, India. |
| 5 | Sushil Gupta – N. K. Buildcon Pvt. Ltd | B-62, "UGANTA", University Marg, Bapu Nagar, Jaipur (Rajasthan), PIN- 302018. |
| 6 | B. N. Devaiah – SECON Private Limited | Plot No.- 147, 7 B Road, Export Promotion Industrial Park (EPIP), Whitefield, Bangalore (Karnataka) – 560066. |
| 7 | Md. Anjum Mushtaque – Lahmeyer International (India) Pvt. Ltd | INTECH House, 37 Institutional Area, Sector-44, Gurgaon – 122002, India. |

8) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Blk 04/113
संयुक्त सचिव (अभिना)
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड

ज्ञापांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/562/2012- 1231 /राँची, दिनांक 04/09/2013

प्रतिलिपि :- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभागीय आयुक्तों एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/सभी उपायुक्तों/सभी विभागध्यक्षों/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Blk 04/113
संयुक्त सचिव (अभिना)
जल संसाधन विभाग,

S/C
झारखण्ड
04/09/2013

ज्ञापांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/562/2012- 1231 /राँची, दिनांक 04.09.2013

प्रतिलिपि :- वेब सूचना पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया कार्यालय आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर upload किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अशोक कुमार
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मोा०)